न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 83 / प्रा0पत्र / 2024 दायरा दिनांक :–07.06.2024

GCMS ID–2022 / 103

1. अम्बालाल आ0 जमनालाल जाति कराड निवासी खीण्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रार्थी

बनाम

1. धापु पुत्री हीरा जाति कराड निवासी खीण्या तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. मनभर पुत्री हीरा जाति कराड निवासी खीण्या तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. शंकर आ0 हीरा जाति कराड निवासी खीण्या तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. सुनिता पुत्री हीरा जाति कराड निवासी खीण्या तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. सुरेश आ0 हीरा जाति कराड निवासी खीण्या तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
6. हेमराज आ0 मांगीलाल जाति कराड निवासी खीण्या तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
7. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :– श्री महेश नामा
वकील अप्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन

दिनांक :– 22 / 05 / 2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या संख्या 6 खसरा संख्या 841 रकबा 0.0243 गे0मु0चाह कुल किता 1 कुल रकबा 0.0243 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 5 खसरा संख्या 837 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा सख्या 838 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, खसरा सख्या 840 रकबा 0.3480 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.5827 हैक्टेयर वाके ग्राम खीण्या पटवार मण्डल खीण्या तहसील हिण्डोली में स्थित है, प्रार्थी उक्त भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का नाम अम्बालाल है, जो प्रार्थी के सभी दस्तावेज में दर्ज है, परन्तु प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में प्रार्थी का नाम अमृतलाल दर्ज हो रहा है, उक्त इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात राशन कार्ड, बैंक डायरी, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान, भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड, जॉब कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम अम्बालाल दर्ज है एवं प्रार्थी की सामलाती खाते की भूमि खाता संख्या 234 व 236 वाके ग्राम खीण्या के राजस्व रिकॉर्ड में भी प्रार्थी का नाम अम्बालाल ही दर्ज है, लेकिन प्रार्थना

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

...की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम अमृतलाल दर्ज होने के कारण प्रार्थी अपनी उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहा है। तथा प्रार्थी को काफी समस्या का सामना करना पड रहा है, प्रार्थी का नाम अम्बालाल है और पहचान के सभी दस्तावेजता में भी अम्बालाल ही नाम दर्ज है, इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रहे गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमृतलाल के स्थान पर सही नाम अम्बालाल दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी ने हल्का पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 25.05.2024 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी, प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम अमृतलाल के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर उक्त स्थान पर सही नाम अम्बालाल दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम अम्बालाल दर्ज करवावे। भूमिया ग्राम खीण्या पटवार मण्डल खीण्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विरिथत होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या संख्या 6 खसरा संख्या 841 रकबा 0.0243 गे0मु0चाह कुल किता 1 कुल रकबा 0.0243 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 5 खसरा संख्या 837 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा सख्या 838 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, खसरा सख्या 840 रकबा 0.3480 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.5827 हैक्टेयर वाके ग्राम खीण्या पटवार मण्डल खीण्या तहसील हिण्डोली के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम अमृतलाल के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर सही नाम अम्बालाल दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में दर्ज करने आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 से 6 को स्वीकार करते हुए प्रार्थी का वास्तविक नाम अम्बालाल शुद्ध किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email: sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 7 तहसीलदार हिण्डोली की ओर से पत्रांक :- राजस्व/25/823 दिनांक :-21.04.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम खीण्या पटवार मण्डल खीण्या के खाता संख्या 05 व 06 में दर्ज अपने नाम अमृतलाल पुत्र जमनालाल के स्थान पर अम्बालाल पुत्र जमना दर्ज करवाना चाहता है, जिसके संबंध में मजमा-ए-आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियो/मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा उक्त खाता नम्बरों में दर्ज सहखातेदार अमृतलाल पुत्र जमना व अम्बालाल पुत्र जमना एक ही व्यक्ति के नाम है जिनको अमृतलाल पुत्र जमना के स्थान पर अम्बालाल पुत्र जमना शुद्ध दर्ज किया जाना उचित होगा।

पेरोकार सरकार मुताबिक जॉच तहसीलदार हिण्डोली के आधार पर अपने जबाव में प्रार्थी का नाम अमृतलाल पुत्र जमना के स्थान पर सही नाम अम्बालाल पुत्र ज़मना शुद्ध दर्ज किया जाना सही बाताया है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम अम्बालाल पुत्र जमना है, जिसको मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को जवाब पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, जॉब कार्ड, जनाधार कार्ड, परीक्षा परिणाम पत्रक वर्ष 1976 से 1977 कक्षा 7 प्रवेशांक 308 रा०मा०वि०, खीण्या व जमाबंदी खाता संख्या 234, 236 ग्राम खीण्या पेश किए है जिनमें प्रार्थी का नाम अम्बालाल पुत्र जमना अंकित है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थीगण/ पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष मुताबिक जॉच रिपोर्ट के दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम खीण्या पटवार मण्डल खीण्या के खाता संख्या 05 व 06 में दर्ज सहखातेदार के नाम अमृतलाल पुत्र जमनालाल के स्थान पर अम्बालाल पुत्र जमना शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरींर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 22.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446